



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०. एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था०नि०/14444/1937

दिनांक:- 20-10-14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, साहेबगंज के वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक की लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 429/13-14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

20/10/14
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र-I
बिहार, पटना

3/11/14
30/10
101
6/11/14

50-7
3/11/14
3/11/14

नगर पंचायत, साहेबगंज
निरीक्षण प्रतिवेदन सं०- 429/13-14
अंकेक्षण वर्ष- 2010-11 से 12-13

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) के लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक की लेखाओं की नमूना जांच लेखापरीक्षा, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना के स्थानीय लेखापरीक्षा के अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 10.06.13 से 15.06.13 तक की गई।

2. प्रशासन : -

अध्यक्ष

क्र.सं.	पद	पदधारी का नाम	कार्य अवधि
1.	अध्यक्ष	(क) रीना देवी	01.04.2010 से 27.03.2012
		(ख) सुनैना देवी	28.03.2012 से 30.04.2012
		(ग) किरण देवी	01.05.2012 से पदासीन
2.	उपाध्यक्ष	(क) जमील अख्तर	01.04.2010 से 30.04.2012
		(ख) विजय कुमार	01.05.2012 से पदासीन
3.	कार्यपालक पदाधिकारी	(क) गगन सिंह	01.04.2010 से 03.04.2010
		(ख) अनुप कुमार सिंह	04.04.2010 से 10.10.2012
		(ग) सुमन सिंह	10.10.2012 से पदासीन
4.	नगर प्रबंधक	विनय प्रकाश	2010 से पदासीन

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा की गयी। अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट- I में तथा अनुपलब्ध/असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट- II में दी गयी है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नगर पंचायत को निर्गत पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की लंबित कंडिकाओं को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार -

क्र०सं०	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं०	लेखापरीक्षा अवधि	कुल कंडिका	लंबित कंडिका
1	66/2011-12	(2007-08 से 2009-10)	15	15

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित कंडिकाओं का अनुपालन नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया था। अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की दशा में लेखापरीक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। अतः नगर पंचायत, साहेबगंज के कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को प्रेषित करें।

5. बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 82 से 84 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मदवार अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों को प्रदर्शित करते हुए बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना है।

नगर पंचायत के द्वारा मात्र 2011-12 के लिए बजट प्राक्कलन तैयार कर पत्रांक 39 दिनांक 11.03.2011 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को भेजा गया था। वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 के लिए बजट नहीं बनाया गया था। वर्ष 2011-12 के बजट का विवरण निम्नानुसार है-

	अनुमानित	वास्तविक (रोकड़ बही के अनुसार)	अन्तर	% अन्तर
आय	17415400.00	11554836.00	5860564.00	33%
व्यय	17919900.00	6931200.00	10988700.00	61%

इस प्रकार अनुमानित आय एवं व्यय में 33% से 61% का अन्तर था जो वास्तविकता से परे था। अतः वास्तविक बजट बनाने का प्रयास किया जाय।

बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 75 के अनुसार नगरपालिका निधि से किसी भी राशि की प्राप्ति एवं व्यय, बजट से आच्छादित हो। उक्त प्रावधानों के विपरीत वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 के प्राप्ति एवं व्यय से आच्छादित नहीं थे अर्थात् बिना बजट प्राक्कलन के व्यय किया गया।

अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविकता के निकट का बजट तैयार किया जाय।

6. वार्षिक लेखा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 88 के अनुसार, नगर पंचायत को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वार्षिक लेखे तैयार किये जाने है। (शीर्षवार आय तथा व्यय का विवरण)

नगर पंचायत द्वारा 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिए वार्षिक लेखा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः वार्षिक लेखा को प्रतिवर्ष तैयार किया जाय तथा अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

7. सामान्य रोकड़ बही अधिदृश्य (वर्ष 2010-11 से 12-13)

सामान्य रोकड़बही के अनुसार नगर पंचायत, साहेबगंज की वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी। (विवरणी परिशिष्ट- III पर संलग्न)

सामान्य रोकड़ बही का 31.03.13 में अन्तशेष	20255839.00
बैंक शेष (31.03.13) विवरणी निम्नानुसार है	13082302.00
बैंक का नाम/खाता सं०	अन्तशेष(31.03.13)
(i) कोषागार खाता	7824144.00
(ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (19350100011567)	999346.00
(iii) सेन्ट्रल बैंक (3164668617)	475368.00

(iv) स्टेट बैंक (31515232143)	3119411.00
(v) सेन्ट्रल बैंक (2195979870)	664033.00
	13082302.00

अंकेक्षण टिप्पणी-

- 1 सामान्य रोकड़ बही अन्तशेष तथा बैंक शेष (31.03.13) के मध्य अन्तर राशि 7173537.00 (20255839 - 13082302) का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया था।
- 2 समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में उपलब्ध करावें।

8. अधिदृश्य, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के सहायक रोकड़ बही के अनुसार नगर पंचायत, साहेबगंज का इस मद में वित्तीय वर्ष 2010-2011 से 2012-13 तक का वित्तीय संव्यवहार निम्नानुसार था-

क्र.सं.		2010-11	2011-12	2012-13
1	प्रारंभिक अवशेष	348584.00	730718.00	317551.00
2	प्राप्ति			
(i)	योजना मद	520000.00	576415.00	637266.00
(ii)	ब्याज	-	-	-
3	कुल प्राप्ति (1+2)	868584.00	1307133.00	954817.00
4	व्यय			
(i)	योजना में	137866.00	989582.00	31509.00
(ii)	बैंक कटौती	-	-	-
5	कुल व्यय (i+ii)(3-4)	137866.00	989582.00	31509.00
6	अन्तशेष	730718.00	317551.00	923308.00
7	बैंकशेष बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता सं. 19350100011567 में बी. आर.जी.एफ. की राशि का अन्तशेष 06.06.12			999346.00
8	बैंक शेष तथा रोकड़ बही शेष के मध्य अन्तर राशि			76038.00

टिप्पणी-

- (1) बैंक शेष तथा रोकड़ बही के मध्य अन्तर राशि का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया था।
- (2) वर्ष के अन्त में समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था, समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

138
(3) बैंक विवरणी अद्यतन नहीं था।

9. अधिदृश्य, तेरहवीं वित्त आयोग

सामान्य रोकड़ बही के साथ संलग्न तेरहवीं वित्त आयोग मद तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के सहायक रोकड़बही के वित्तीय संव्यवहार के अनुसार अंतशेष का विश्लेषण निम्नानुसार था—
अन्तशेष विश्लेषण (31.03.13)

	तेरहवीं वित्त आयोग अंतशेष 31.03.13	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अन्तशेष 31.03.13	कुल अंतशेष 31.03.13
(31.03.13)	2430521	3089110	5519631
सूद प्राप्ति (not entered in cashbook)	78253	—	—
	2508774	3089110	5597884
expenditure not entered in cashbook(-)	15000	—	—
	2493774	3089110	5582884
कोषागार खाता 13 th FC शेष जिसे (-) cashbook में entry किया गया है। किन्तु SBI passbook में transfer नहीं किया गया था।	2485000	—	—
	8774	3089110	3097884

स्टेट बैंक खाता सं०— 31515232143 का अन्तशेष (31.03.13)— 3119411.00

बैंक शेष तथा रोकड़ बही शेष के मध्य अन्तर— 21527.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी—

1 रोकड़ बही शेष तथा बैंक शेष (31.03.13) के मध्य अन्तर राशि 21527.00 का करण अंकक्षेपण में स्पष्ट नहीं किया गया था।

2 कोषागार खाता का पासबुक अंकक्षेपण में उपलब्ध नहीं कराया गया था।

3 समाधान विवरणी तैयार कर अंकक्षेपण में उपलब्ध नहीं कराया गया था। समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकक्षेपण दल को दिखाया जाय।

10. अधिदृश्य, कबीर अन्त्येष्टि

कबीर अन्त्येष्टि के सहायक रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक का वित्तीय संव्यवहार निम्नानुसार था—

		2011-12	2012-13
1	प्रारंभिक अवशेष	0	19500
2	प्राप्ति	19500	513000
3	कुल प्राप्ति (1+2)	19500	532500
4	व्यय	0	60000
5	अन्तशेष (3-4)	19500	472500
ब्याज की राशि बैंक पासबुक में प्रविष्टि की गई थी लेकिन रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई थी, विवरण निम्नांकित है-			
	31.05.12		233
	31.11.12		2635
			2868
	रोकड़ बही का अन्तशेष (31.03.13 तक)		472500
			475368
6	बैंक शेष (31.03.13) सी.बी.आई. 3164668617 शाखा कुरनौल		475368 (समाधानित)

टिप्पणी-

- (i) ब्याज की राशि रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई थी।
(ii) समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी।

11. अनुदान

नगर पंचायत, साहेबगंज द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। परन्तु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/मदों में प्राप्त अनुदानों के सहायक रोकड़ बही के अंकक्षण में न0 पं0 साहेबगंज में 2010-11 से 2012-13 तक कुल राशि 28688032 का अनुदान प्राप्त हुआ। (विवरण अंकक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट- IV पर)

टिप्पणी-

- (क) सभी अनुदानों का कुल अवशेष राशि 19469801.00 (विवरणी अंकक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट- IVA पर) पाया गया। इस राशि को नियमानुसार व्यय किया जाय अथवा इसे राज्य सरकार को वापस किया जाय।
(ख) अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।
(ग) नगर प्रबंधक को भुगतान के लिए प्राप्त अनुदान से ज्यादा भुगतान किस आदेश से/किस स्रोत से किया गया है, इसे अगले अंकक्षण में दिखाया जाय।

36

12. करारोपण नहीं किया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शहरी निकाय को नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित मकानों पर कर (होलिडिंग कर) आरोपित करने की शक्ति प्रदान की गयी है।

परन्तु नगर पंचायत, साहेबगंज के द्वारा वर्ष 2012-13 की समाप्ति तक भी होलिडिंग कर का करारोपण नहीं किया गया था।

अतः नगर पंचायत द्वारा कर निर्धारण कर करारोपण किया जाय तथा परिणाम से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

13. संवेदक के द्वारा रु. 2227500 की अतिरिक्त वसूली

नगर पंचायत, साहेबगंज के अन्तर्गत 2011-12 के लिए व्यवसायिक वाहन प्रवेश शुल्क वसूली हेतु 3300000 की उच्च बोली के आधार पर श्री अभिषेक कुमार पिता श्री सुरेश प्रसाद सिंह के साथ बन्दोबस्ती कर एकरारनामा किया गया (01.04.2011 से 30.03.2012 तक) बन्दोबस्ती की सूचना तथा एकरारनामा के आधार पर भर्ती ट्रक तथा बस से ₹30 तथा खाली ट्रक से ₹15 की वसूली की जानी थी। श्री अभिषेक कुमार के द्वारा दिनांक 03.09.11 को आवेदन दिया गया जिसमें यह कहा गया कि खाली ट्रक से राशि वसूलने में कठिनाई होती है अतः इस राशि (15) को भर्ती ट्रक के साथ मिलाकर (30+15=45) रु. 45, भर्ती ट्रक से ही वसूलने की अनुमति प्रदान की जाय। इसके आधार पर दिनांक 10.09.11 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या 02 में इस वृद्धि (30 से 45) के प्रस्ताव को पारित किया गया जिसके अनुसार यह वृद्धि दिनांक 30.09.11 की मध्य रात्रि से प्रस्तावित थी, परन्तु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, साहेबगंज के द्वारा अपने पत्रांक 126 दिनांक 26.09.11 के द्वारा श्री अभिषेक कुमार (संवेदक) को यह सूचित किया गया कि दर में वृद्धि से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा अगले आदेश तक पुराने दर (30 रु.) के आधार पर ही वसूली करते रहेंगे।

परन्तु साहेबगंज नगर पंचायत के राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रेषित शिकायत पत्र (दिनांक 12.10.2011) के अनुसार यह प्रतीत होता है कि संवेदक के द्वारा दर में वृद्धि करके, बढी हुई दर से राशि की वसूली प्रारंभ कर दी गयी (जबकि इस संबंध में कार्यालय आदेश नहीं जारी हुआ)। इस प्रकार संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया अथवा संवेदक के द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त कर लिया गया परन्तु इसका किसी भी प्रकार का लाभ नगर पंचायत को नहीं मिला क्योंकि मुख्यतः भर्ती ट्रकों का ही आवागमन होता है। अतः बढी हुई दर से राशि की वसूली दिनांक 01.10.11 से 15.03.12 तक वसूली की जाती रही।

अतिरिक्त राशि की गणना निम्नानुसार है—

भर्ती ट्रक	15x 1000 (ट्रक प्रतिदिन)	15000 प्रतिदिन
खाली ट्रक	15x 100 (ट्रक प्रतिदिन)	1500
01.10.11 से 15.03.12	कुल	165 दिन
कुल राशि	165x 15000	2475000 भर्ती ट्रक
	165x 1500	247500 खाली ट्रक
कुल अतिरिक्त राशि	2475000 - 247500	2227500

इस प्रकार रु. 2227500 की अतिरिक्त वसूली की गयी जिसका कोई लाभ नगर पंचायत को नहीं हुआ, परन्तु लाभ वस्तुतः संवेदक को हुआ। अतः आवश्यक छानबीन करते हुए वस्तुस्थिति से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

14. अधिक दी गई राशि वसूली के संबंध में

नगर पंचायत, साहेबगंज के अंकेक्षण के दौरान पाया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में एक कम्प्यूटर 'माइक्रो इन्फोटेक साहेबगंज' से खरीदी गई थी। खरीदे गये कम्प्यूटर अच्छे मानक कम्पनी के नहीं थे।

कम्प्यूटर खरीदने में माइक्रो इन्फोटेक को निम्न सामाग्रियों के लिए राशि दी गई थी-

क्र.सं.	विवरण	सं.	राशि
1	डेस्कटॉप	1	26000.00
2	एन्टीवायरस	1	900.00
3	प्रिन्टर	1	4500.00
4	यू.पी.एस.	1	2000.00
5	रख- रखाव चार्ज (1वर्ष के लिए)		4000.00
		कुल	37400.00

(नोट- ये ऑकड़े माइक्रो इन्फोटेक द्वारा दिये गये कैशमेमों से लिया गया है जो संलग्न हैं)

माइक्रो इन्फोटेक द्वारा दिये गये कैशमेमो में 39000 रु. की राशि अंकित है एवं माइक्रो इन्फोटेक को नगर पंचायत, साहेबगंज द्वारा 39000 रु. का भुगतान भी कर दिया गया था लेकिन कैशमेमो के अवलोकन पर पाया गया कि जितने भी सामाग्री जो कम्प्यूटर से संबंधित थे उनके राशियों का कुल योगफल 37400 ही था। अतः इस प्रकार कुल 1600 रु. (39000- 37400) माइक्रो इन्फोटेक को नगर पंचायत, साहेबगंज द्वारा अधिक भुगतान कर दिया गया।

उपरोक्त खरीदारी में यह भी पाया गया कि माइक्रो इन्फोटेक को जो 39000 रु. की राशि दी गई थी उसमें 4000 रु. 'रख- रखाव चार्ज' भी दिया गया था। किसी भी कम्प्यूटर की खरीदारी पर

कम्पनी द्वारा कुछ वर्षों के लिए (जैसे- 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष अथवा अपने गुणवत्ता के आधार पर समय निर्धारित) मुफ्त में वारंटी प्रदान की जाती है। इस प्रकार 4000 रु. की राशि जो माइक्रो इन्फोटेक को दिया गया वह गलत है।

अतः इस प्रकार 5600 रु. (4000 + 1600) की राशि माइक्रो इन्फोटेक से वसूलकर, नगर पंचायत, साहेबगंज निधि कोष में जमा कर, जमा की विवरणी से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

15. अनुज्ञप्ति शुल्क

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342, नगरपालिका क्षेत्र में बिना नगरपालिका की अनुमति/अनुज्ञप्ति से गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए परिसरों का उपयोग नहीं करने का उपबंध है। अतः नगरपालिका क्षेत्र में व्यवसायिक कार्य हेतु धारा 342 की अनुसूची के अनुसार प्रयोजनों/व्यवसाय पर नगरपालिका से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना है। इसी अनुसूची की कम संख्या 16 में बैंकिंग क्षेत्र का जिक्र है। अतः नगर पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले बैंकिंग प्रतिष्ठानों को नगर पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति लेनी पड़ती है।

नगर पंचायत के द्वारा जो सुची उपलब्ध कराई गयी थी, उसके अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में कार्यरत शाखाओं की कुल संख्या 4 है, जिसके अनुसार अंकेक्षण वर्ष (3 वर्ष) में ही प्रतिवर्ष 2500 रु. (प्रतिशाखा) की दर से कुल 30000 (2500x 3x 4) की हानि नगर पंचायत को हुई।

अतः अनुज्ञप्ति शुल्क की मांग एवं वसूली पंजी का संधारण कर एवं 30000 की वसूली कर अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

16. मुद्रांक निबंधन शुल्क

राज्य सरकार के पत्रांक 1920/मुख्य सचिव/दिनांक 14.08.2002 एवं पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में की गयी किसी भी प्रकार की बन्दोबस्ती के एकरारनामों का निबंधन किया जाना है, जिसके अन्तर्गत बन्दोबस्ती की राशि का 3% मुद्रांक शुल्क तथा 3% निबंधन शुल्क के साथ निबंधन किया जाना है। अंकेक्षण वर्ष में ली जानेवाली मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है-

सैरात- प्रवेश शुल्क

वर्ष	बन्दोबस्ती की राशि	मुद्रांक शुल्क 3%	निबंधन शुल्क 3%	कुल	गैर न्यायिक	अवशेष	बन्दोबस्तकार
2010-11	1112111.00	33363.00	33363.00	66726.00	100.00	66626.00	मो० नवी हंसन
2011-12	3300000.00	99000.00	99000.00	198000.00	1000.00	197000.00	अभिषेक कुमार
						263626.00	

अतः शेष राशि कुल 263626.00 की वसूली कर तथा राज्य सरकार के उचित शीर्ष में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

17. मोबाईल टॉवर शुल्क

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 3691 दिनांक 08.10.12 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (समय- समय पर संशोधित) की धारा 127 की उपधारा (1)(ड0) तथा 419(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल संचार आवर एवं संबंधित संरचना पर कर के संबंध में नियमावली 2012 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित टावर पर प्रतिटावर पंजीकरण शुल्क 30000 तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 8000 प्रतिटावर प्रतिवर्ष देय होगा। साथ ही साथ टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटीना पर 60% की दर से पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क लिया जाएगा।

टिप्पणी-

नगर पंचायत, साहेबगंज द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल टॉवरों की सूची के आधार पर यह पाया गया कि न0पं0 क्षेत्र में कुल 8 मोबाईल टॉवर स्थापित थे, जिनसे अभीतक कोई भी राशि न ही पंजीकरण शुल्क और न नवीकरण शुल्क न0पं0 द्वारा लिया गया है। इसी सूची के आधार पर न0पं0 क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मोबाईल टॉवरों पर निम्नानुसार बकाया राशि पाया गया-

क्र.सं.	टावरों की सं.	स्थापना वर्ष	कुल पंजीकरण शुल्क	कुल नवीकरण शुल्क	कुल बकाया (31.03.13 तक)
1	6	2008-09	180000.00	240000.00	420000.00
2	1	2009-10	30000.00	32000.00	62000.00
3	1	2012-13	30000.00	8000.00	38000.00
		कुल	240000.00	280000.00	520000.00

इस प्रकार कुल राशि 520000.00 (विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट- VI पर) की वसूली न0पं0 द्वारा जल्द से जल्द किया जाय एवं स्थिति से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

18. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

नगर पंचायत, साहेबगंज में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु दो एन.जी.ओ. जनकल्याण समिति पटना एवं समाधान सेवा समिति के साथ एकरारनामा किया गया था।

1	एकरारनामा	समाधान सेवा समिति (beautician) 06.10.12
2	एकरारनामा	जनकल्याण समिति, पटना 06.10.12
3	कार्यादेश	11मु0/09.10.12, सचिव समाधान सेवा समिति न्यू पाटलिपुत्र क्लोनी को 10 अभ्यर्थी हेतु केवल ब्यूटिशियन प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु
4	कार्यादेश	144/06.10.12, कम्प्यूटर- 48(छात्र), मल्टीमिडिया- 02(छात्र), इंगलिश स्पोकेन-5(छात्र), फैशन डिजाइनिंग-18(छात्र), जन कल्याण समिति, पटना
5	भुगतान की गई राशि	जनकल्याण समिति, पटना

अग्रिम 40% तथा टूलकिट की राशि

क्र.सं.	सामाग्री	अभ्यर्थी	स्वीकृत दर	कुल राशि	40%
(i)	कम्प्यूटर	48	6700	321600.00	128640.00
(ii)	मल्टीमिडिया	02	5700	11400.00	4560.00
(iii)	इंगलिश स्पोकेन	05	3800	19000.00	7600.00
(iv)	फैशन डिजाइनिंग	18	6700	120600.00	48240.00
					189040.00

किट की राशि = 21900 + 6500 + 183150 = 211550

कुल राशि = 211550 + 189040 = 400590

चेक संख्या- 273564 दिनांक 10.03.13 के द्वारा राशि 400630.00 का भुगतान किया गया था।

6 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 927 दिनांक 06.09.12 के अनुसार सरकार में सूचीबद्ध संस्थाओं से एकरारनामा करते समय नगर निकायों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर संस्थाओं की जाँच कर एकरारनामा में समाहित करने का निर्देश दिया गया था।

(i) संस्थाओं/एजेंसियों के पास वैसे प्रशिक्षक होने चाहिए, जिन्हें सम्बन्धित ट्रेडों में 3 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।

(ii) संस्थाओं/एजेंसियों के पास पर्याप्त क्लास रूम प्रयोगशाला था अन्य आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध होने चाहिए।

(iii) संस्थाओं/एजेंसियों को प्रशिक्षण के उपरान्त लाभार्थियों को प्रमाण- पत्र उपलब्ध कराना होगा।

(iv) संस्थाओं/एजेंसियों के पास प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम 1500 वर्गफीट का स्थान होना चाहिए था।

(v) प्रशिक्षण टूलकिट उपलब्ध कराने के पश्चात प्रारंभ कराना होगा।

7 नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 507 दिनांक 12.06.12 के अनुसार नगर प्रबंधक नोडल पदाधिकारी होंगे। नोडल पदाधिकारी इस योजना के सम्पूर्ण कार्य के लिए जिम्मेवार रहेंगे। इनके द्वारा प्रत्येक स्तर पर कार्यों की समीक्षा की जायेगी।

8 नोडल पदाधिकारी के भौतिक जाँच प्रतिवेदन में अभ्यर्थियों की उपस्थिति का प्रमाण पत्र उपस्थिति पंजी में 29.10.12 में दर्ज किया गया था।

9 जनकल्याण समिति, पटना के पत्रांक 07/JKS/13 दिनांक 09.01.13 के आधार पर प्रशिक्षण आरंभ 15.10.12 को किया गया था।

10 उपस्थिति पंजी- कम्प्यूटर क्लास उपस्थिति 12.10.12 से 19.10.12 तक

भौतिक प्रतिवेदन नोडल अधिकारी द्वारा 29.10.12

11 अभिश्रव टूलकिट

क्र.सं.	सामग्री	संख्या	अभिश्रव सं०/दिनांक	दर राशि	कुल राशि
1	कीट बैग	73 अदद	1517 / 14.10.12	300	21900.00
2	सी.डी.	15	तथैव	—	500.00
3	रिफ्रेन्स बुक	15	तथैव	400	6000.00
4	सी.डी. सोनी	150	224 / 14.10.12	31	4650.00
5	सी.डी. केस (रिटोज)	50	तथैव	120	6000.00
6	पेनड्राइव 16जीबी सैनडीस्क	50	तथैव	1650	82500.00
7	सॉफ्टवेयर (टैली, डी. टी.पी.)		तथैव	—	42500.00
8	रेफरेन्स बुक	50	तथैव	950	47500.00
					211550.00

अंकेक्षण आपत्ति—

1 नोडल अधिकारी के द्वारा कक्षा में उपस्थिति की भौतिक जाँच 29.10.12 को की गई थी जबकि उपस्थिति पंजी के अनुसार अक्टूबर माह में 12.10.12 से 19.10.12 तक ही कक्षा चली थी। 29.10.12 को कक्षा बन्द थी।

2 उपस्थिति पंजी के अनुसार अक्टूबर 12 से मार्च 13 तक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। किन्तु उन्हें 15.06.13 तक टूल किट उपलब्ध नहीं कराया गया था। जबकि टूलकिट (software, reference book, pandrive & CD) का कय 14.10.12 को कर लिया गया था।

3 सरकार के निर्देश के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं के पास प्रशिक्षण स्थल पर 1500 वर्गफीट का स्थान होना चाहिए था किन्तु जनकल्याण समिति, पटना की कोई भी ईकाई, साहेबगंज में कार्यरत नहीं थी। इसके स्थान पर राजीव गॉंधी कम्प्यूटर के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जा रहा था। अतः sub contracting की स्थिति से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जो अनियमित है।

4 ट्रेनिंग प्रदान करने वाली संस्था द्वारा ट्रेनर (trainer) की सूची तथा उनके योग्यता संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच नहीं की गई थी। कक्षा में पढाये जा रहे पाठ्यक्रम का उल्लेख एकरारनामा या अन्य कागजातों में नहीं किया गया था।

5 नमूना जांच तथा अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से अंकेक्षण में बतलाया गया था कि वे प्रशिक्षण कक्षा में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे अर्थात् उन्हें प्रशिक्षण प्रारंभ होने की जानकारी नहीं थी, फिर भी उनकी उपस्थिति पंजी में दर्ज पायी गयी थी।

6 संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित लाभार्थी का 30 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध कराना है अर्थात् job consultancy का कार्य करना है। जन कल्याण समिति द्वारा इस क्षेत्र में अनुभव था अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करें।

7 उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत करते हुये स्पष्ट है कि टूलकिट में भुगतानित राशि 211550.00 संस्था से वसूलनीय है।

8 फर्जी उपस्थिति पंजी का संधारण, sub contracting, अयोग्य प्रशिक्षक तथा अपर्याप्त आधारभूत सुविधा के कारण भुगतान की गई राशि (40%) 189040.00 दुरुपयोग किया गया था अतः 189040.00 जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

इस प्रकार कुल राशि 400590 (211550 + 189040) जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय थी। इसे अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाय।

19. सोलर लाईट

योजना संख्या- 03/2010-11

कार्य का मद- द्वादश मद (12), बी.आर.जी.एफ. मद (17) तथा आन्तरिक स्रोत (07)

सोलर की संख्या- 36

कार्य का नाम- नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में सौर उर्जा लाईट निर्माण कार्य

कार्य की प्रा0 राशि- 34500 x36 =1242000

कोटेशन-

(i)	शान्ति सेल्स	34500
(ii)	शीतला सोलर सिस्टम	44000
(iii)	सोनम इन्टरप्राइजेज	31500
(iv)	श्याम इन्टरप्राइजेज	54000
(v)	दिप्यंकर ट्रेडर्स	27500

(vi)	मे0 राज कन्ट्रेक्टर	25955
------	---------------------	-------

कार्यादेश- शान्ति सेल्स 15.06.2011 (07)

25.08.2010 (29)

भुगतान की गई राशि-

चेक संख्या	030747 / 26.08.10	750000.00
चेक संख्या	232413 / 12.03.11	83175.00
चेक संख्या	034755 / 14.03.11	117350.00
चेक संख्या	019888 / 15.06.11	29325.00
चेक संख्या	232418 / 15.06.11	20700.00
चेक संख्या	016348 / 09.07.11	229400.00
		1229950.00

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

1 तुलनात्मक विवरणी तथा कोटेशन के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि शान्ति सेल्स एवं मे0 राज कन्ट्रेक्टर का solar specification (सौर लाईट मापदण्ड) समान था किन्तु राज कन्ट्रेक्टर का कोटेशन दर कम था। इनके बावजूद शान्ति सेल्स को कार्यादेश प्रदान किया गया था। इसके कारण का औचित्य अंकेक्षण में नहीं बतलाया गया था।

2

34500 - 25955	8545.00
36 अदद x 8545	307620.00

नगर पंचायत को राशि 307620.00 की हानि हुई थी। इस हानि को संबंधित संस्था/व्यक्ति की जिम्मेवारी तय करते हुए वसूली जाय।

3 संचिका में गारण्टी कार्ड तथा वारण्टी कार्ड नहीं पाया गया था।

4 संस्था ने सी-3 प्रपत्र जमा नहीं किया था इसके बावजूद अभिभ्रव से वैट की राशि न काटकर उसे ही वापस कर दिया था। अंकेक्षण में इसका कारण नहीं स्पष्ट किया गया था।

20. विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं, गुणवत्ता परीक्षण नहीं तथा योजनाओं की स्थिति

(i) विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं

अंकेक्षण में प्रस्तुत की गयी योजनाओं की विवरणी के अनुसार नगर पंचायत, साहेबगंज के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में संवेदकों के द्वारा निर्धारित समय सीमा तक योजनाओं को पूर्ण नहीं किया

गया था। कुछ संचिकाओं की नमूना जाँच/अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि संवेदकों के विपत्र से विलम्ब शुल्क की कटौती किए बिना, उन्हें विपत्र का पूर्ण भुगतान कर दिया गया, न ही उक्त नियम को शिथिल किया गया। जबकि संवेदकों के विपत्र से एकरारनामा एफ- 2 के क्लाउज- 2 के अनुसार विलम्ब के कार्यान्वयन पर प्राक्कलित राशि का ½% प्रतिदिन (अधिकतम 10%) की कटौती करनी थी।

अतः विलम्ब शुल्क की कुल राशि 745658 (विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट- VII पर) संवेदाकों/जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलकर विवरण अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

(ii) गुणवत्ता का परीक्षण नहीं

संचिकाओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी योजना के कार्यान्वयन प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं किया गया था। अतः सभी योजनाओं में प्रयुक्त सामग्रियों के गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए।

(iii) योजनाओं की स्थिति

प्रस्तुत विवरणी के अनुसार योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार थी-

क्र.सं.	मद	कुल योजना	पूर्ण	अपूर्ण
1	12वीं वित्त	2	2	—
2	13वीं वित्त	12	5	7
3	बी.आर.जी.एफ.	9	9	—
4	आंतरिक स्रोत	4	3	1
5	पथ निर्माण	6	6	—
6	नाला निर्माण	2	2	—
7	चतुर्थ	14	5	9
		49	32	17

कृपया योजनाओं के कार्यान्वयन में शीघ्रता की जाय तथा योजनाओं को पूर्णता प्रदान की जाय।

21. दैनिक मजदूरी भुगतान

न0पं0, साहेबगंज द्वारा प्रस्तुत की गई दैनिक मजदूरों के भुगतान की अभिश्रवों के आधार पर पाया गया कि न0पं0 द्वारा कुल 12 दैनिक कर्मियों को 2010-11 से 2012-13 तक कुल राशि 887082.00 (विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट- VIII पर) का भुगतान किया गया है।

टिप्पणी-

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 4न0अ0/1/99/1986 न0वि0वि0 दिनांक 25.06.2001 के द्वारा तथा समय- समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के माध्यम से दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति

एवं भुगतान पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद न0पं0 द्वारा दैनिक कर्मियों के भुगतान पर बड़ी राशि व्यय की गई है।

इस आपत्ति के संबंध में राज्य सरकार के निर्देश/सहमति को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करने तक दैनिक मजदूरों पर व्यय 887082 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

22. लेखापरीक्षा परिणाम

1. लेखापरीक्षा के दौरान वसूल की गयी राशि – शून्य
2. लेखापरीक्षा द्वारा वसूली हेतु सुझायी गयी राशि – ₹4500594.00
3. अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी गयी राशि— ₹887082.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट— IX पर)

23. कार्यपालक से वार्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी से अंकेक्षण आपत्ति पर समय-समय पर वार्ता की गयी थी।

24. सामान्य अभ्युक्ति

नगर पंचायत, साहेबगंज के लेखाओं के संधारण में सुधार की काफी आवश्यकता है। अनुदान एवं अनुदान विनियोजन पंजी, अग्रिम पंजी, बन्दोबस्ती पंजी, सम्पत्ति पंजी रसीदों आदि का भंडार पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। इस कारण किसी भी वित्तीय एवं अन्य अनियमितताएँ की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि विहित लेखों का संधारण करने के उचित कदम उठाये। आन्तरिक राजस्व की वृद्धि के लिए गृह कर समेत अन्य करों के करारोपण की आवश्यकता है।

कार्यबल की मांग विधिवत रूप से राज्य सरकार को प्रेषित करने की आवश्यकता है।

—हस्ता0—

आलोक कुमार

(स0ले0प0अधि0)

—अनुमोदित—

उपमहालेखाकार (एस0एस0—I)

—सह—

स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

सं०- एल०ए०/एस०एस०-१/श०स्था०नि०

दिनांक

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जबाबदेही का दावा नहीं करता है।

- ६० -

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सोशल सेक्टर -१
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०- एल०ए०/एस०एस०-१/श०स्था०नि०/१५५५५/१९३७

दिनांक - २०/१०/१५

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर

२०/१०/१५

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सोशल सेक्टर -१
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

परिशिष्ट संख्या I

लेखा परीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना जांच की गयी अभिलेखों की सूची।

(प्रतिवेदन की कठिका 3 से संदर्भित)

- (1) लेखापाल रीकॉर्डबही
- (2) बैंक पासबुक
- (3) बजट (आंशिक)
- (4) योजनाओं की सूचिका
- (5) कच सूचिकायें
- (6) वन्दोवली सूचिकायें
- (7) SJSRY प्रशिक्षण संबंधित सूचिकायें
- (8) अभिलेख

साईबराज

परिशिष्ट प

लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध एवं असंभारित अभिलेखों की सूची।

(प्रतिवेदन की कंडिका 3 से संदर्भित)

- (1) अनुदान एवं अनुदान विनियोग पंजी
- (2) अग्रिम पंजी
- (3) रोकड़पाल रोकड़वशी
- (4) वार्षिक विनियम विवरण एवं तुलना पत्र
- (5) दैनिक संग्रह पंजी
- (6) फार्म, रसीद आदि की मंजूर पंजी
- (7) मुख्यकर एवं अन्य कर की मांग एवं वसूली पंजी
- (8) विविध रसीद कर पुस्त
- (9) बजट (आंशिक)
- (10) सोसायटी पासबुक
- (11) बैंक पंजी

आर.क.

अभिलेख

क्र.सं.	मह	-2010-11-			-2011-12-			2012-13			
		प्राथमिक अंक	प्राप्ति	व्यय	अंतर	प्राप्ति	व्यय	अंतर	प्राप्ति	व्यय	अंतर
1.	2215	4177842	3593859	3074482	4697219	2725653	5072147	2350725	679013	2180082	849656
2.	पिंडाई अग्रहण सिद्धि	1317459	520000	1106741	730718	576415	989582	317551	637266	31509	923308
3.	बारहवाँ वित्त मह	1004576	-	707800	296776	-	192386	104390	-	-	104390
4.	तीरहवाँ वित्त मह	-	700000	-	700000	2916629	677085	2939544	2192359	2701382	2430521
5.	कबीर अन्वेषण	-	-	-	-	19500	-	19500	513000	60000	472500
6.	चारुण्य वित्त	-	-	-	-	5237660	-	5237660	5952927	-	11190187
7.	ई-गवर्नंस	-	-	-	-	78979	-	78979	-	-	78979
8.	जनशामना	-	-	-	-	-	-	-	180000	43997	136003
9.	स्वर्ण ज्योती शहरी शंजगार शोभना	-	-	-	-	-	-	-	3489740	400630	3089110
10.	शिक्षक मानदेय	-	-	-	-	-	-	-	2277600	1296415	981185
11.	आपदा प्रबंधन	-	-	-	-	-	-	-	15000	15000	88
12.	कुल	6499877	4813959	4889023	6424713	11554836	6931200	11048349	15936505	6729015	20255839

नगर पंचायत साईबगंज में 2010-11 से 2012-13 तक प्राप्त अनुदान की विवरणी

क्र.सं.	स्वीकृत/आदेश सं./चेक सं.	तिथि	राशि	भेद
1.	वि.सं. 68/11-12	26.3.12	7897900	E-Governance
2.	74 2344	11.11.2011	500000	आपदा प्रबंधन
3.	001990	21.12.12	500000	"
4.	58339	10.1.13	100000	"
5.	नं.वि.आ.वि. 166	26.3.11	138170900	Matching Grant
6.	2. वि.आ. प्रक्र. 31.03.09 चि. 549998	31.3.09	35308400	साईबगंज
7.	आपदा नं.वि.आ.वि. 1338	17.3.10	32574600	"
8.	" 41	25.3.10	32574600	"
9.	आपदा-61 नं. वि.आ.वि.	8/3/12	200000000	नरुथी 0. वि. आयोग
10.	आपदा 60 (विवर्ण-I)	19/3/12	136613800	"
11.	" (विवर्ण-II)	19/3/12	187152200	"
12.	आपदा-88 (विवर्ण-I)	4.3.13	188755400	"
13.	" (विवर्ण-II)	"	80895400	"
14.	" (विवर्ण-III)	"	125601900	"
15.	" विवर्ण-IV)	"	200000000	"
16.	आपदा-24	13.3.12	63792800	BRGF
17.	आपदा 24	13.3.12	63792800	"
17.	आपदा 157/60	25.11.10	52000000	"
18.	चै. सं. 504255	7.5.11	35331500	"
19.	चै. सं. 500005	20.12.11	22310000	"
20.	आपदा 2031	20.4.10	6540000	कार्यकाल आभार
			<u>1547519400</u>	

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	रकम	प्रकार
			BF 15475194	
21	प्रति 69	26.4.10	65400	प्राथमिक अना
22	" 36	25.1.12	65400	"
23	" 44	20.9.12	65400	"
24	" 175	26.3.11	000	अनुदान
25	" 174	26.3.11	71600	"
26	चक्र 839422	19.8.11	180000	"
27	चक्र 833122	11.11.11	1162800	मिळालेले अना
28	चक्र 906322	25.10.12	5000	"
29	चक्र 822254	10.11.12	394800	"
30	चक्र 0249	27.2.13	775000	"
31	3. वि. अ. क्र. 1143 1211080064	25.4.12	489740	सालाना
32	12319072110 क्र. नं. वि. अ. वि. वि. वि.	14.11.12	3000000	"
33	चक्र 109431	28.12.10	152850	करीर अंश
34	चक्र 018638	14.1.12	19500	"
35	" 022810	24.4.12	175500	"
36	" 000022	26.3.13	837500	"
37	" 708437	2.11.11	140000	नगर प्रत्यक्ष अना
38	" —	—	222000	करीर अंश
39	" 421341	3.1.12	40000	नगर प्रत्यक्ष अना
40	अना 41	19.9.12	240000	"
41	वि. अ. 95	20.10.11	700000	लेखा वि.
42	वि. अ. 185	20.11.12	700000	"
43	अना 21	4.8.11	800000	"
44	चक्र 131301106	9.11.11	501428	"
45	चक्र 966084	14.8.12	481920	"
46	चक्र 58	13.3.12	817000	"
45	अना 1	4.4.12	529000	"
46	वि. अ. 29	29.7.12	864000	"
47	अना 36	31.8.12	275000	"

Total grant - 28688032



[Handwritten signature]

14-6-13

नगर पंचायत साहेवगंज में 2010-11 से 12-13 तक प्राप्त अनुदानों का विवरण

मद	अनुदान	अवशेष (31.3.13)
E-Governance	78979 = ₹	78979 = ₹
Matching Grant	1381709 = ₹	241238 = ₹
आपदा प्रबंधन	20000 = ₹	—
द्विदश वित्त	1004576 = ₹	104390 = ₹
* नाला निर्माण (2010-11 से पहले)	1404000 = ₹	438272 = ₹
* पथ निर्माण (2010-11 से पहले)	2333000 = ₹	60663 = ₹
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	1,11,90187 = ₹	1,11,90187 = ₹
B.R.G.F.	3051140 = ₹	923308 = ₹
पाषाण भत्ता	261600 = ₹	104852 = ₹
नगर स्वयंसेवक कामादेश	420000 = ₹	— 300000 = ₹
रेलवे वित्त	5668348 = ₹	2670521 = ₹
जनशान्ति	253600 = ₹	136003 = ₹
शिक्षक कामादेश	1976600 = ₹	233928 = ₹
स्वयंसेवक	3489740 = ₹	3089110 = ₹
कार शिल्पोद्दि	906850 = ₹	478350 = ₹
	<u>33440329 = ₹</u>	<u>19469801 = ₹</u>

Handwritten signature/initials



14/05/2015

परिशिष्ट - V (प्रतिवेदन की कंडिका 15 से संबंधित)

(19)

क्रमांक	बैंक का नाम	शाखा
01	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	साहेबगंज
02	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	साहेबगंज
03	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	साहेबगंज
04	कपरेटीव बैंक	साहेबगंज

15-6-15

शेवरे की सूचि	स्थापना वर्ष
(1) Airtel Ward no. 06	नर पं० गहन (2008) के पूर्व
(2) Airtel Ward no. 03	"
(3) Airtel Ward no. 09	"
(4) B.S.N.L. Ward no. 06	"
(5) IDEA Ward no. 10	"
(6) DOCOMO Ward no. 09	"
(7) TATA INDICOM (TOWER VISION) Ward no. 06	2009
(8) Airtel Ward no. 12	2012

Sem. 1
T. Damra
N.P. Sahasgany
11.06.13

योजनाओं के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क की राशि को दर्शानी विवरणी (प्रकृत सी.जी. विवरणी के अन्त)


क्रम	क्र.सं.	प्रा. राशि	कार्यदेन की तिथि	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	विलम्ब की राशि	संवेदन
1.	01	550000	10.08.10	3 माह	02.05.11	6 माह	55,000	मनोज कुं. जायसवाल
2.	02	414000	25.08.10	3 माह	12.03.11	3 माह	41,400	अजय कुमार
3.	03	586500	25.08.10	3 माह	12.03.11	3 माह	58,650	"
4.	04	290700	10.08.10	3 माह	02.05.11	5 माह	29,070	मनोज कुं. जायसवाल
5.	05	429000	10.08.10	3 माह	02.05.11	5 माह	42,900	"
6.	08	100800	10.08.11	4	11			
		3775000	25.08.11	11	06.11.12			
6.	15	297000	25.08.11	3 माह	18.01.12	2 माह	29700	अनवर अस्फरी
7.	17	319000	25.08.11	3 माह	18.01.12	2 माह	31900	"
8.	18	495800	26.05.10	3 माह	01.03.11	6 माह	49580	ललीत स्मर
9.	19	498400	"	"	12.03.11	6 माह	49840	मनोज कुं. जायसवाल
10.	20	480400	"	"	01.03.11	6 माह	48040	ललीत स्मर
11.	22	426600	26.05.10	"	12.03.11	6 माह	42660	मनोज कुं. जायसवाल
12.	23	426600	26.05.10	3 माह	16.11.10	2 1/2 माह	42660	"
13.	25	273700	10.08.10	3 माह	12.03.11	4 माह	27370	"
14.	29	492228	27.12.12	2 माह	अज्ञेय तिथि 11.06.13	6 माह	49222	शैलेश सिंह अज्ञेय (शि.) अज्ञेय
15.	30	492228	27.12.12	2 माह	"	6 माह	49222	"
16.	31	492228	27.12.12	2 माह	"	6 माह	49222	"
17.	72	492228	27.12.12	2 माह	"	6 माह	49222	"

7,45,658

9/3

नगर पंचायत साडेकांज मे दैनिक कर्मियों को भुगतान की गई राशि की विवरणी

क्र.सं.	अभिधन सं/चेक सं.	दिनांक	राशि	विवरण
1.			21888=₹	8 दैनिक सफाईकर्मियों को अक्टूबर 2010 का वेतन
2.			21888=₹	मई 2010
3.			20292=₹	जून 2010
4.			20520=₹	जुलाई 2010
5.			18696=₹	अगस्त 2010
6.			20862=₹	सितम्बर 2010
7.	031709	4.11.10	21660=₹	अक्टूबर 2010
8.	033331	20.11.11	20178=₹	नवम्बर 2010
9.	033331	20.11.11	20862=₹	दिसम्बर 2010
10.	034754	19.3.11	41838=₹	Jan 01 एवं Feb 01
11.	034760		41952=₹	मार्च 11 एवं अप्रैल 11
12.	016346	09.7.11	40242=₹	मई 11 एवं जून 11
13.	018258	13.9.11	39102=₹	जुलाई 11 एवं Aug 11
14.	019394	27.10.11	38418=₹	Sept 11 एवं Oct 11
15.	022099	30.12.11	36138=₹	Nov 11 एवं Dec 11
16.			18012=₹	Jan 12
17.			19494=₹	Feb 12
18.			18696=₹	मार्च 12
19.			18240=₹	Apr 12
20.			19152=₹	मई 12
21.			19494=₹	जून 12
22.			17328=₹	जुलाई 12
23.			18240=₹	Aug 12
24.			23472=₹	Sept 12
			<u>596664=₹</u>	



8 दशक का वर्षी का Oct 2012 का वेतन

26.	23040 = w	Nov 12
27.	21600 = w	Dec 12
28.	25200 = w	Jan 13
29.	24480 = w	Feb 13
30.	23760 = w	
31.	5130 = w	दो साप्ताहिक बिना (13 दिनों) Nov 11 एवं Dec 11 बिना
32.	10944 = w	मुक्ति 13 दिनों को Jan 12 एवं Feb 12
33.	27360 = w	साप्ताहिक बिना का वेतन मुक्ति
34.	11058 = w	25 12 का वेतन मुक्ति
35.	11286 = w	27 12
36.	10488 = w	30 12
37.	11400 = w	Aug 12
38.	13824 = w	Sep 12
39.	13824 = w	Oct 12
40.	13968 = w	Nov 12
41.	14976 = w	Dec 12
42.	14256 = w	Jan 13
	13824 = w	Feb 13

290418 = w
 Bf. 596664 = w
 Total 887082 = w

Ashish
A.S.

